न्यायालय अति.जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 93 / 2022 आवन्टन निरस्त

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बिजौलिया जिला भीलवाडा	**बनाम**	1. अशोक कुमार भवानीशंकर पिता बंशीलाल, कृष्णा दुर्गा पुत्री बंशीलाल शान्ता पत्नी बंशीलाल पाराशर निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलिया
–प्रार्थी		–विपक्षीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)</u>

उपस्थित –
1. राजकीय अधिवक्ता – प्री की ओर से

निर्णय

दिनांक 06.06.2023

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) विरूद्व विपक्षी के प्रेषित कर निवेदन किया कि विपक्षी को ग्राम मण्डोल की आ.न. 592 / 207 रकबा 0.4856 हैक्ट. भूमि का आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटी के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। आवंटी (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटी का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। विपक्षीगणों को सम्मन नोटिस जारी किये गये। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि विपक्षी अशोक कुमार, भवानीशंकर, शान्ता बावजूद सूचना के अनुपस्थित हैं। विपक्षी कृष्णा, दुर्गा के सम्मन की तामील में सकुनत गलत होना अंकित किया है। प्रार्थी तहसीलदार बिजौलिया ने सही

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

सकुनत मय सम्मन नोटिस पेश नही कर विपक्षी के विरूद्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) प्रस्तुत किया है, जो नियम विरूद्व होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) खारिज किया जाता हैं।

तहसीलदार बिजौलिया द्वारा सही सकुनत रिपोर्ट मय सम्मन भी पेश नही किये गये। जबकि प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिनांक 21.11.2022 से ही पंजीबद्ध चला आ रहा है। प्रकरण में काफी समय व्यतीत होने पर भी प्रार्थी ने विधिवत प्रकिया नही अपनायी है, इस प्रकार तहसीलदार बिजौलिया ने न्यायालय का श्रम व समय अनावश्यक जाया किया है। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता हैं। निर्णय की प्रति तहसीलदार बिजौलिया को प्रेषित की जावे। तहसीलदार बिजौलिया पूर्ण दस्तावेज की जांच कर प्रकरण नये सिरे से प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र हैं।

निर्णय आज दिनांक 06.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)